संख्याः 137/XVI-2/17/07(19)/2016

प्रेषक,

जी0एन0उप्रेती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग
प्रेमनगर–देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 17 मार्च,2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रेशम विकास विभाग हेतु अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की योजना 0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरणयोजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2665/रेशम/तक0अनु0/बजट/2016–17,दिनांक–16 फरवरी 2017 एवं वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक–26 जुलाई 2016, पत्र संख्या–1391/XXVII(1)/2016 दिनांक–01 दिसम्बर 2016 एवं पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1359/XVI–2/16/7(19)/2016 दिनांक–16 जनवरी 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेशम विकास विभाग हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–26 (सामान्य) के आयोजनागत पक्ष की 0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण योजना में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि **₹20.00 लाख के सापेक्ष प्रथम चरण में ₹7.00 लाख (₹ सात लाख मात्र)** की धनराशि वेब आधारित प्रंणाली के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– इस धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016,दिनांक–31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016,दिनांक–26 जुलाई 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। मानक मद 01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुर्नर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

क्रमशः–2

7– कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0–8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा करते हुए व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त विभाग एवं बजट निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

10– वृहद निर्माण कार्यो के आगणन बनाकर उस पर शासन का अनुमोदनोपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

11– यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0खाते में जमा की गयी है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाये, तद्पोरान्त ही योजनान्तर्गत आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के शा0 पत्र संख्या–139(P)/XXVII(4)/2016,दिनांक–09 मार्च,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 S1703290171

भवदीय,

(जी0एन0उप्रेती)
उप सचिव।

संख्या–137(1)/XVI-2/17/07(19)/2016,**तददिनांक ।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 रेशम विकास मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
6– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Sericulture (S044)

आवंटन पत्र संख्या - **137/xvi-2/17/07/(19)/2016**

अलोटमेंट आई डी - **S1703290171**

अनुदान संख्या - **029**

आवंटन पत्र दिनांक 09-Mar-2017

HOD Name - Director Sericulture (2066)

1: **लेखा शीर्षक** 2401 - फसल कृषि कर्म 00 -

119 - बागवानी और सब्जियों की फसलें

07 - शहतूत की खेती एवं रेशम विकास

12 - उत्तराखण्ड सरकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000	0	100000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	900000	700000	1600000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	125000	0	125000
42 - अन्य व्यय	400000	0	400000
	1525000	**700000**	**2225000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 700000

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
उद्यान एवं रेशम विभाग
उत्तराखण्ड शासन।